27

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, (म.प्र.)

Rs.5 INDIA 5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.5 INDIA 5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

R 5152/17

बद्री साहू तनय श्री छोटे साहू, निवासी ग्राम रायखोर तह0 रामपुर नैकिन जिला सिंगरौली (म0प्र0) ———————— निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

———————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री विवेक शर्मा, द्वारा प्रस्तुत/10-4-17

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 19.01.17 जो राजस्व प्रकरण क्र. 527/अपील/12–13 को माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

पटवारी हल्का रामपुर नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत तहसीलदार रामपुर नैकिन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रायखोर की शसकीय आराजी नम्बर 1354/1 जुज रकवा 0.202 हे0 पर निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2007–08 में कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। निगरानीकर्ता द्वारा नोटिस का जबाव दिया गया जिस पर तहसीलदार महोदय ने निगरानीकर्ता के उपर 100.00 रु0 अर्थदण्ड आरोपित करते हुए वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई परन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने समय सीमा के बिन्दु पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर अपर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5152/दो/17 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 527/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 19-01-17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवारी हलका रामपुर नेकिन तहसील रामपुर नेकिन द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत तहसीलदार रामपुर नेकिन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम रायफोर की शासकीय भूमि न. 1354/1 रकबा 5.954 हे0 के जुजरकबा 0.202 हे0 पर आवेदक द्वारा वर्ष 2007-08 में कब्जा कर अतिक्रमण किया है। उसे नोटिस जारी कर दिनांक 06-04-09 को जबाब प्राप्त कर 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। वादग्रस्त भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा बेदखली का आदेश पारित करते हुए। आदेश का पालन न करने के कारण तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 527/अपील/12-13में पारित आदेश दिनांक 19-01-17 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिविल् जेल हेतु वारेण्ट जारी किया गया। आवेदक को उस दौरान जेल भी हुई तथा दिनांक 01-06-12 को जमानत पर रिहा हुआ। अपर आयुक्त के न्यायालय में विलंब से	

अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा कोई ठोस समाधानकारक न होने के कारण विलंब के कारण अपील निरस्त की गई। इससे यह तो सिद्ध होता है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है और उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की गई है। इसलिए अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19/01/17 कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती उनके आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अत: उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य